झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

—: अधिसूचना :—

अधिसूचना सं.–01/स्था.(कोर्ट केस)–04–28/2019 6773 /राँची, दिनांक : 28/11/19 /

1. श्री शिव कुमार देव (आई.डी.–3402), कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमंडल, विशुनपुर पाटन द्वारा दिनांक 28.01.2010 से 13.09.2010 तक सेवा विनियमन तथा तद्नुसार ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड में डब्लू.पी.एस.–3046/2019 दायर किया गया।

श्री शिव कुमार देव, कार्यपालक अभियंता के द्वितीय एवं तृतीय एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव दिनांक 12.02.2019 को विभागीय स्क्रीनिंग समिति की बैठक में रखा गया था। समिति द्वारा श्री देव की कतिपय सेवा अवधि विनियमित नहीं होने के कारण, एम.ए.सी.पी. स्वीकृति का प्रस्ताव तत्काल स्थगित रखा गया है।

योजना–सह–वित्त विभाग के सहमति के उपरांत दिनांक 28.01.2010 से 13.09.2010 तक की अवधि को विभागीय पत्रांक–2982 दिनांक 16.09.2019 द्वारा विनियमित किया गया है।

उक्त स्थिति में श्री शिव कुमार देव के द्वितीय एवं तृतीय एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति पर निर्णय लिया जाना है।

2. श्री जितेन्द्र कुमार (आई.डी.–3234) कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, जामताड़ा को विभागीय अधिसूचना सं.–1567 दिनांक 07.06.2018 द्वारा दिनांक 01.07.2018 के प्रभाव से तृतीय एम.ए.सी.पी. की स्वीकृति दी गयी है।

विभागीय ज्ञापांक सं.–5542 दिनांक 08.12.2016 द्वारा श्री जितेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता को एक वेतन वृद्धि पर संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड संसुचित रहने के कारण दिनांक 01.07.2018 से तृतीय एम.ए.सी.पी. देय किया गया था।

श्री जितेन्द्र कुमार, कार्यपालक अभियंता द्वारा उक्त दण्डादेश को निरस्त करने हेतु माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में वाद सं.–डब्लू.पी.एस.–297/2017 में पारित न्याय निर्णय दिनांक 23.01.2019 के आलोक में विभागीय आदेश सं.–4124 दिनांक 30.07.2019 द्वारा उपर्युक्त दण्ड निरस्त किया गया है।

उक्त स्थिति में श्री जितेन्द्र कुमार को तृतीय एम.ए.सी.पी. की देय तिथि 01.07.2018 को संशोधित करते हुए दिनांक 25.06.2017 निर्धारित किया जाना है।

3. उपरोक्त वर्णित स्थिति में याचिका सं.–डब्लू.पी.एस.–3046/2019 एवं डब्लू.पी.एस.–297/2017 में प्रतिशपथ पत्र दायर करने/ न्याय निर्णय के अनुपालन के संदर्भ में राज्य कर्मियों को संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ प्रदान करने संबंधी योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या–06/एस.–06/प्रो.–03/2009–2981/वि. दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री शिव कुमार देव एवं श्री जितेन्द्र कुमार के द्वितीय एवं तृतीय एम.ए.सी.पी. पर विभागीय स्क्रीनिंग समिति के सदस्यों से परिचालन के माध्यम से निर्णय लिया गया।

समिति के सदस्यों की अनुशंसा के क्रम में संबंधित पदाधिकारियों को सम्वर्ग में प्रथम योगदान की तिथि से लगातार 20/30 वर्ष सेवा पूर्ण कर लिये जाने के उपरांत संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना अंतर्गत क्रमशः द्वितीय एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ स्तम्भ–07 एवं 08 में अंकित तिथि एवं वेतनमान में दिया जाता है।

G:\PRAMOD-2019\DY. SEC\ACP- MACP\MACP 2019\Notifaction Jitendra Kr. & Shiv Kr. Deo MACP Coart Case.docx

क्र०	नाम/पदनाम/आई० डी०/गृह जिला/ जन्मतिथि	सेवा में नियुक्ति एवं योगदान की तिथि	सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना		संशोधित सुनिश्चित वृति उन्नयन योजना			अभ्यु.
			प्रथम ए.सी.पी. योजना के तहत् लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान् सहित)	द्वितीय ए.सी.पी. योजना के तहत् लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान् सहित)	प्रथम एम.ए.सी.पी. योजना के तहत् लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान् सहित)	द्वितीय एम.ए.सी.पी. योजना के तहत् लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान् सहित)	तृतीय एम.ए.सी.पी. योजना के तहत् लाभ प्रदान करने हेतु प्रस्तावित तिथि (वेतनमान् सहित)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री शिव कुमार देव कार्यपालक अभियंता/ 3402/ सिद्धि (म.प्र.) /01.10.60	18.07.87	—	—	—	01.09.08 (वेतनमान् 15600–39100, ग्रेड पे 7600)	18.07.17 (वेतनमान् 123100–215900 लेवल–13, समकक्ष वेतनमान् 37400–67000, ग्रेड पे 8700)	
2	श्री जितेन्द्र कुमार कार्यपालक अभियंता/ 3234/दरभंगा/ 01.02.61	25.06.87	—	—	—	—	25.06.17 (वेतनमान् 123100–215900 लेवल–13, समकक्ष वेतनमान् 37400–67000, ग्रेड पे 8700)	विभागीय अधि.सं.–1567 दि. 07.06.18 द्वारा दि. 01.07.18 से स्वीकृत तृतीय एम.ए.सी.पी. (वेतनमान् 37400–67000, ग्रेड पे 8700) को संशोधित करते हुए।

यह वित्तीय उन्नयन निम्नांकित शर्तो के अधीन देय है :–

1. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना दिनांक 01.09.2008 से प्रभावी है।

2. संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना व्यक्तिगत होगा जिसका पारस्परिक वरीयता से कोई संबंध नहीं होगा।

3. सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना एवं संशोधित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन योजना हेतु संबंधित कर्मियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभाग के संकल्प सं.–2981 दिनांक 01.09.2009 में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा।

4. मंत्रिमंडल समन्वय एवं निगरानी विभागसे निगरानी स्वच्छता प्रतिकूल पाये जाने पर यह वित्तीय उन्नयन लाभ तदनुसार प्रभावित होगा।

5. संबंधित किसी भी पदाधिकारी के संदर्भ में भविष्य में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उन्हें प्रदत्त एम॰ए॰सी॰पी॰ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा किसी कारणवश देय वेतन से अधिक भुगतान का मामला प्रकाश में आने पर अतिरेक भुगतान की गयी राशि की एक मुश्त वसूली कर ली जायेगी और इसके विरूद्ध किसी प्रकार का दावा सरकार या न्यायालय में विचारणीय नहीं होगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

27.11.19

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
उप सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 6773 रॉची, दिनांक :– 28/11/19

प्रतिलिपिः– अधीक्षक सचिवालय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को अधिसूचना की तीन मूल प्रतियों के साथ गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। गजट में प्रकाशनोपरांत प्रकाशित गजट की 200 (दो सौ) प्रतियॉ विभाग को अभिलेख हेतु भेजने की कृपा की जाय।

27.11.19

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
उप सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 6773 रॉची, दिनांक :– 28/11/19

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड रॉची/ उप सचिव, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि अपने अभिलेख से योगदान की तिथि एवं सेवा में टूट संबंधी आवश्यक जॉच कर वेतन पुर्जा निर्गत किया जाय।

27.11.19

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
उप सचिव (प्र0)

ज्ञापांक :– 6773 रॉची, दिनांक :– 28/11/19

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, मंत्रिमंडल समन्वय एवंनिगरानी विभाग, झारखण्ड रॉची/ सचिव, भवन निर्माण विभाग, झारखण्ड रॉची/ प्रबंध निदेशक, झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कारपोरेशन लिमिटेड, रॉची/ अभियंता प्रमुख–01 एवं 02, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची/ सभी संयुक्त सचिव/ सभी उप सचिव/ सभी अवर सचिव (प्रबंधन कोषांग सहित)/ सभी संबंधित मुख्य अभियंता/ सभी संबंधित अधीक्षण अभियंता/ सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता/ सभी संबंधित अभियंता, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड/ वेब इन्फारमेशन मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड रॉची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27.11.19

(प्रदीप कुमार गुप्ता)
उप सचिव (प्र0)